भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न सं. 256**

04 फरवरी, 2024 को उत्तरार्थ

**विषय: एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के अंतर्गत परियोजनाएं**

256. श्री बालाशौरी वल्लभनेनीः

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) आंध्र प्रदेश राज्य में एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (एआईएफ) के अंतर्गत सहायता प्रदान करने के लिए चिह्नित की गई और स्वीकृत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के अंतर्गत परियोजनाओं पर 3 प्रतिशत या 7 प्रतिशत की दर से ब्याज लिया जाता है:

(ग) क्या यह सच है कि कृषि अवसंरचना निधि का लक्ष्य 2020-21 और 2025-26 के बीच 1 लाख करोड़ रुपये संवितरित करना है, लेकिन नवंबर, 2024 तक अभी तक केवल 51,783 करोड़ रुपये ही स्वीकृत किए गए हैं और केवल एक वित्तीय वर्ष बचा है;

(घ) क्या आवेदकों को 51,783 करोड़ रुपये की स्वीकृत राशि जारी कर दी गई है;

(ङ) यदि नहीं, तो वित्तीय संस्थानों द्वारा अब तक जारी की गई निधि का ब्यौरा क्या है;

(च) सरकार अगले वित्तीय वर्ष के अंत में लक्ष्य प्राप्त करने के लिए शेष 48,000 करोड़ रुपये से अधिक राशि किस प्रकार जारी करने की योजना बना रही है; और

(छ) आंध्र प्रदेश में एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के कार्यान्वयन की जिलावार स्थिति क्या है?

**उत्तर**

**कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)**

(क) और (छ): देश में फसलोपरांत प्रबंधन इंफ्रास्ट्रक्चर में मौजूदा अंतराल को दूर करने के उद्देश्य से, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड(एआईएफ) की प्रमुख योजना 2020-21 में शुरू की गई थी ताकि फार्म गेट भंडारण और लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के माध्यम से देश में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा सके ताकि किसान अपनी कृषि उपज को समुचित ढंग से संग्रहित और संरक्षित कर सकें और फसलोपरांत नुकसान और बिचौलियों की कम संख्या के साथ उन्हें बेहतर कीमत पर बाजार में बेच सकें। वेयरहाउसों, कोल्ड स्टोर, छंटाई और ग्रेडिंग इकाइयों, पकाई कक्षों आदि जैसे उन्नत फसलोपरांत प्रबंधन इंफ्रास्ट्रक्चर से किसान बड़े स्तर पर सीधे उपभोक्ताओं को उपज बेच सकेंगे और इस प्रकार किसानों के लिए मूल्य प्राप्ति में वृद्धि होगी । इससे किसानों की कुल आय में सुधार होगा। 26.01.2025 तक, एआईएफ के तहत 92393 परियोजनाओं के लिए 56334 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं, इस कुल स्वीकृत राशि में से 41996 करोड़ रुपये योजना लाभ के

अंतर्गत आते हैं। इन स्वीकृत परियोजनाओं से कृषि क्षेत्र में 91856 करोड़ रुपये का निवेश जुटाया गया है।

**आंध्र प्रदेश** राज्य में, एआईएफ के तहत 2686 परियोजनाओं के लिए 2819 करोड़ रुपये (नाबार्ड द्वारा पीएसीएस के लिए 924 करोड़ रुपये की सैद्धांतिक मंजूरी सहित) मंजूर किए गए हैं। इन स्वीकृत परियोजनाओं की कुल परियोजना लागत 4124 करोड़ रुपये है। आंध्र प्रदेश राज्य में एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड(एआईएफ) के तहत सहायता प्रदान करने के लिए चिह्नित की गई और स्वीकृत परियोजनाओं का जिलावार विवरण **अनुबंध** में दिया गया है।

(ख): विभाग द्वारा बैंकों और अन्य ऋण देने वाली संस्थाओं के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अनुसार, एआईएफ ऋणों पर ब्याज दर 9% प्रति वर्ष निर्धारित सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए। पुनः, इस वित्तपोषण सुविधा के अंतर्गत सभी ऋणों पर 2 करोड़ रुपये की सीमा तक 3% प्रति वर्ष की दर से ब्याज छूट मिलेगी। यह छूट अधिकतम 7 वर्षों के लिए उपलब्ध होगी। 2 करोड़ रुपये से अधिक के ऋणों के मामले में, ब्याज छूट 2 करोड रुपये तक सीमित होगी।

(ग) से (ङ): जी, हां। 26.01.2025 तक, एआईएफ के तहत 92393 परियोजनाओं के लिए आवेदकों को 56334 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं, जिससे 2025-26 तक ऋणदाता संस्थानों द्वारा 43,666 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की जानी बाकी है।

(च): निर्धारित समय सीमा के भीतर 1 लाख करोड़ रुपये के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, कई रणनीतिक पहल शुरू की गई हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के विस्तार को मंजूरी दे दी है। मुख्य उपायों में सभी पात्र लाभार्थियों के लिए व्यवहार्य सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों की अनुमति देना शामिल है, जिसमें पात्र गतिविधियों में प्राइमरी प्रसंस्करण के साथ एकीकृत द्वितीयक प्रसंस्करण परियोजनाएं और एआईएफ को पीएम-कुसुम घटक-ए के साथ एकीकृत करना शामिल है। इसके अतिरिक्त, एफपीओ को ऋण गारंटी सहायता प्रदान करने की योजना में एनएबी संरक्षण को भी शामिल किया गया है। हाल ही में 23.01.2025 को नाबार्ड, मुंबई में संपन्न वार्षिक बैंकर्स कॉन्क्लेव में प्रतिबद्धता को मजबूत करने और अनुमोदन में तेजी लाने के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थानों के शीर्ष अधिकारी को एक साथ लाया गया। इसके अतिरिक्त, क्षेत्रीय हितधारकों को शामिल करने, चुनौतियों का समाधान करने और आउटरीच बढ़ाने के लिए आने वाले महीनों में बहु राज्य स्तरीय सम्मेलनों की योजना बनाई जा रही है। जागरूकता बढ़ाने, प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और एआईएफ पहल को प्रभावी ढंग से बढ़ावा देने के लिए बैंकों और राज्य सरकारों के एआईएफ नोडल अधिकारियों के साथ नियमित बातचीत की जा रही है। इन प्रयासों का उद्देश्य गति बनाए रखना, समय पर मंजूरी सुनिश्चित करना और 1 लाख करोड़ रुपये के लक्ष्य की ओर वित्त पोषण को बढ़ावा देना है।

**अनुबंध**

**आंध्र प्रदेश राज्य में एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड(एआईएफ) के अंतर्गत सहायता प्रदान करने के लिए चिह्नित की गई और अनुमोदित परियोजनाओं का जिलावार विवरण**

(रुपये करोड़ में )

| क्रं.सं. | ज़िला | स्वीकृत सं. | स्वीकृत राशि |
|---|---|---|---|
| 1 | पूर्वी गोदावरी | 258 | 228 |
| 2 | गुंटूर | 116 | 195 |
| 3 | कृष्ण | 199 | 143 |
| 4 | पलनाडु | 101 | 127 |
| 5 | पश्चिमी गोदावरी | 284 | 109 |
| 6 | श्री पोट्टी श्रीरामुलु नेल्लोर | 111 | 95 |
| 7 | एलुरु | 116 | 94 |
| 8 | अनंथापुरमु | 114 | 85 |
| 9 | नांदयाल | 160 | 83 |
| 10 | काकीनाडा | 101 | 75 |
| 11 | विजयनगरम | 186 | 72 |
| 12 | श्रीकाकुलम | 187 | 72 |
| 13 | बापतला | 89 | 71 |
| 14 | कुरनूल | 90 | 66 |
| 15 | तिरुपति | 42 | 58 |
| 16 | डॉ. बी.आर. अम्बेडकर कोनासीमा | 127 | 55 |
| 17 | एनटीआर | 48 | 50 |
| 18 | प्रकाशम | 69 | 48 |
| 19 | चित्तूर | 31 | 44 |
| 20 | वाईएसआर | 58 | 35 |
| 21 | पार्वतीपुरम मन्याम | 64 | 29 |
| 22 | श्री सत्य साईं | 54 | 23 |
| 23 | अनकापल्ली | 42 | 17 |
| 24 | विशाखापत्तनम | 24 | 15 |
| 25 | अल्लूरी सीताराम राजू | 9 | 6 |
| 26 | अन्नमय्या | 6 | 2 |
| | **कुल योग** | **2686** | **1895#** |

**जानकारी एआईएफ पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों पर आधारित है।*

*#* नाबार्ड द्वारा पीएसीएस के लिए 924 करोड़ रुपये की सैद्धांतिक मंजूरी को छोड़कर

*****